बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

आदेश

श्री लाल बाबू बैठा, तत्कालीन लेखा लिपिक, रामनगर पथ प्रमंडल सम्प्रतिः पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के रामनगर पथ प्रमंडल, के पदस्थापन काल में लौरिया–शिकारपुर–ठोरी पथ (0से12.7 कि०मी०) में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मजबूतीकरण कार्य वर्ष–2001–2002 में दिनांक–27.12.2001 को संवेदक से प्राप्त निविदा के उपरांत संवेदको से मिली भगत कर अपराधिक षड्यंत्र के तहत संवेदको को अनुचित लाभ पहुँचाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–3683(S)We दिनांक–13.03.2008 के अनुपालन में अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक संख्या–917 दिनांक–31.03.2008 द्वारा श्री बैठा को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक–920अनु० दिनांक–31.03.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोंपरांत श्री बैठा से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की माँग की गयी स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए श्री बैठा को लेखा लिपिक के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत करने का निर्णय से अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर को संसूचित किया गया तद्‌लोक में अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1827 दिनांक–17.08.2012 द्वारा श्री बैठा को **लेखा लिपिक के वेतनमान में न्यूतम प्रक्रम पर अवनत** का दंड संसूचित किया गया। संसूचित दंड कें विरूद्ध श्री बैठा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No.-2535/16 दायर किया गया जिसमें दिनांक–06.03.2019 को पारित न्यायादेश में Respondent No.-2 के रूप में विभागीय सचिव को इनके विभाग में लंबित आवेदन को निस्तार करने का निदेश पारित किया गया।

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री बैठा को अवसर देते हुए दिनांक–10.06.2019 को इनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में एवं विभागीय अभिलेख के आधार पर यह संज्ञान में आया कि श्री बैठा द्वारा दंडादेश के विरूद्ध माननीय विभागीय मंत्री के समक्ष अपने आवेदन दिनांक–01.10.2012 द्वारा अपील आवेदन समर्पित किया गया था। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि लेखा लिपिक के मामले में अपीलीय प्राधिकार संबंधित मुख्य अभियंता होते है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिया जाता है कि C.W.J.C. No.-2535/16 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु अपीलीय प्राधिकार के रूप में मुख्य अभियंता (या०) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना श्री लाल बाबू बैठा, लेखा लिपिक को अपील करने का अवसर देते हुए एवं उन्हें सुनने का पर्याप्त मौका प्रदान करते हुए दो माह के अन्दर कार्रवाई पूर्ण कर विभाग को निश्चित रूप से प्रतिवेदन सौपेंगे।

ह०/–
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–

ज्ञापांक :–निग/सारा –4(पथ)–मुक०–04/16

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, (या०) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/श्री लाल बाबू बैठा, लेखा लिपिक, पथ प्रमंडल, संख्या–1, को सूचनार्थ एवं तत्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :–निग/सारा –4(पथ)–मुक०–04/16 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/ प्रभारी विधि पदाधिकारी/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं 13/14 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा –4(पथ)–मुक०–04/16 6382 (S) पटना, दिनांक :– 15/7/19

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।